"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2015—श्रावण 30, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, भा.प्र.से. (2003), कलेक्टर, बिलासपुर को आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003), कलेक्टर, कोरबा को संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004), संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. खनिज विकास निगम को कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

4. श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2004), कलेक्टर, बालोद को संचालक, समाज कल्याण के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, कृषि विपणन मंडी बोर्ड एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

5. श्री धनंजय देवांगन, भा.प्र.से. (2005), कलेक्टर, कोण्डागांव को कलेक्टर, कबीरधाम के पद पर पदस्थ करता है.

6. श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006), संचालक, समाज कल्याण, प्रबंध संचालक, कृषि विपणन मंडी बोर्ड एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम को मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पदस्थ करते हुए अपर विकास आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

7. श्री पी. दयानंद, भा.प्र.से. (2006), कलेक्टर, कबीरधाम को कलेक्टर, कोरबा पदस्थ करता है.

8. श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय एवं मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कलेक्टर, बालोद के पद पर पदस्थ करता है.

9. श्रीमती शिखा राजूपत तिवारी, भा.प्र.से. (2008), उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को कलेक्टर, कोंडागांव के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (2012) अनुविभागीय अधिकारी, भानुप्रतापपुर, कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अवर सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक-एफ 3-43/2015/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/तह./जिला का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना/तह./जिला का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है	क्षेत्र का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-पस्ता, तहसील-राजपुर जिला-बलरामपुर	थाना-राजपुर, तहसील-राजपुर जिला-बलरामपुर	करमडीहा	01
2.		—,,—	कोदौरा	01
3.		—,,—	कोटडीह	02
4.		—,,—	तेजी	02
5.		—,,—	भेण्डरी	02
6.		—,,—	पकराड़ी	02
7.		—,,—	परसवार	02
8.		—,,—	बाड़ी चलगली	08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	थाना-पस्ता, तहसील-राजपुर जिला-बलरामपुर	थाना-राजपुर, तहसील-बलरामपुर जिला-बलरामपुर	डबरा	14
10.		—,,—	मुखा	14
11.		—,,—	डूमरखोला	14
12.		—,,—	कोयली	15
13.		—,,—	खरसोता	15
14.		—,,—	कोटसरी	21
15.		—,,—	सरगड़ी	21
16.		—,,—	गाविन्दपुर	21
17.		—,,—	करकेपा	21
18.		—,,—	लिलौटी	22
19.		—,,—	अतौरी	22

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 5-3/खाद्य/2010/29-1.—छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6244/1961/XXI-B/C.G./15, दिनांक 29-06-2015 द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर सारिणी के खण्ड क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं उच्च न्यायालय से प्रत्याहरित करते हुए उनकी सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को सारिणी के खण्ड क्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में अध्यक्ष के पद पर उनके कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करने हेतु प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है.

राज्य शासन एतद्द्वारा इन न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शाए स्थान पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पद एवं पदस्थापना का स्थान
1.	श्री राधाकृष्णन अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर
2.	श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, कवर्धा
3.	श्री अशोक कुमार लुनिया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुरजपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, धमतरी
4.	श्री भीष्म प्रसाद पाण्डे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गरियाबंद.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जांजगीर-चांपा.
5.	श्री गोकरन सिंह कुंजाम, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जगदलपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल सिंह, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 04 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा	श्री विवेक कुमार तिवारी, सी.जे.एम., कबीरधाम (कवर्धा)
2.	रायपुर	रायपुर	कु. यशोदा कश्यप, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर
3.	जांजगीर	जांजगीर	कु. मनीषा ठाकुर, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chief Judicial Magistrate/First Class Judicial Magistrate, mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in the column No. 3.

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kabirdham (Kawardha)	Kawardha	Shri Vivek Kumar Tiwari, Chief Judicial Magistrate, Kabirdham (Kawardha)
2.	Raipur	Raipur	Ku. Yashoda Kashyap, Judicial Magistrate, First Class, Raipur.
3.	Janjgir	Janjgir	Ku. Manisha Thakur, Judicial Magistrate First Class, Janjgir.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्रमांक/एफ 19-18/2015/25-2.—वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित वक्फ अधिनियम 2013) की धारा 14 (क) एवं उपधारा 14 (8) में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 20-07-2015 को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संयोजित सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा श्री मो. सलीम अशरफी, गफूर मंजिल मौदहापारा, रायपुर को बोर्ड का सभापति निर्वाचित किया गया है, जिसकी एतद्द्वारा घोषणा की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 के नियम 3 एवं 7 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लेखित सामग्रियों में से निम्नलिखित सामग्रियों को विलोपित किया जावे,

स. क्र.	परिशिष्ट-1 में उल्लेखित अनुक्रमांक	विलोपित की जाने वाली सामग्रियों के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	02	टाफेल्ट, बिडूमेन प्राइमर, सीलिंग, कंपाऊंड, एक्सपानसन ज्वाइंट, फिलर ग्रेड-1 तथा बिटूमेन
2.	03	एनामेल एण्ड पिगमेंट
3.	04	**टिम्बर** (ए) सभी प्रकार के लकड़ी फर्नीचर (ब) दरवाजे खिड़की व अन्य भवन सामग्री, (स) अन्य लकड़ी की वस्तुएं.
4.	08	स्पन पाईप्स
5.	09	एम.एस. पाईप्स व फिटिंग्स
6.	10	कास्टिंग, आउसिंग एण्ड स्लॉटेड पाईप्स
7.	11	जी.आई. वायर्स
8.	12	ट्यूबलर स्ट्रक्चरल एण्ड पोल्स
9.	13	**स्टील रि-रोलिंग मिल के उत्पाद** (क) राऊंड बार (ग) चैनल (घ) फ्लैट (ड) टी (ड़) स्कवेयर बार (ङ) जाइस्ट
10.	14	**कास्टिंग :—** मेनहोल कवर, गेट, सभी प्रकार के फेरस के नान-फेरस कास्टिंग, सभी प्रकार की स्टील कास्टिंग.
11.	15	स्लॉटेड एंगल व एसेसरीज
12.	16	वायर रोप
13.	18	जिप्सी हट/पंप हाऊस/पंप हाऊस कम आपरेटर रूप
14.	19	**जनरल इंजीनियरिंग** (अ) **आयरन कास्टिंग :—** सी.आई.पाईप एण्ड स्पेशल्स, शीवेज फिटिंग व अन्य ड्रेनेज आयटम्स, सरफेस बाक्सेस, सरफेस प्लेट, मेन होल कवर, वेन्टशॉफ्ट, डिस्टेंस मार्कर, सी.आई. स्लूइस गेट, सी.आई. ज्वाइंट्स.
15.	22	एम.एस. स्लूइस गेट हैड रेगुलेटर
16.	23	एम. एस. स्लूइस गेट/लीफ गेट व एसेसरीज
17.	24	एम.एस. सीमलेसस
18.	26	लेबोरेटरी फाईन केमिकल्स व एनालिटिकल रीएजेन्ट्स
19.	29	**इलेक्ट्रिक वोल्टेज इक्वीपमेंट्स :—** (क) वोल्टेज बूस्टर, (ख) ट्रांसफारमर्स, (ग) आटोमेटिक वोल्टेज स्टेवीलाईजर (घ) लो वोल्टेज इंसुलेशन टेस्टिंग ट्रांसफारमर्स, (च) मोटर स्टार्टर (छ) आटो ट्रांसफार्मर, (ज) हाई वोल्टेज इंसुलेशन टेस्टिंग ट्रांसफारमर्स (झ) फेस शिफ्टिंग वे फेस कन्वर्टर ट्रांसफारमर्स (ट) ओवन, (ठ) फरनेस (ड) वाटर डिस्टीलेशन प्लांट, (ढ) केपेसीटर, (त) इलेक्ट्रिक इंस्टूमेंट व मीटर्स.

(1)	(2)	(3)
20	32	फ्लोरोसेंट लाईटनिंग फिक्सचर्स
21	33	टी सी बटन बीट्स व हैमर्स
22	34	ड्रिल रॉड
23	36	**मेकेनिकल इंजीनियरिंग :—** (क) अर्थ मूविंग मशीनरी व स्पेयर्स, (ख) गन मेटल वाल्व, (ग) न्यूमेटिक हैमर्स व स्पेयर्स, (घ) वाटर वेल ड्रिलिंग रिंग्स व एसेसरीज, (च) इंटरनल कम्बशन इंजीन, (छ) अन्य इंडस्ट्रियल इंजीन.
24.	37	**रोड इक्वीपमेंट :—** वाईब्रेटर सभी प्रकार के, कांक्रीट मिक्सर, एसफाल्ट मिक्सर सभी प्रकार के, रैमर सभी प्रकार के, एसफाल्ट ड्रम लिफ्टर कम हीटर एसफाल्ट मिक्सिंग ट्रे, कोडलटाईप फोर्क, टारकेन, व्हील बारो, शीवल, ग्रेडेड मेटल स्क्रीन व अन्य सभी आयटम जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में उपयोग किये जाते हैं.
25.	38	मैथमेटिकल व सर्वे इक्वीपमेंट
26.	42	जिम्नास्टिक आयटम्स
27.	44	एच.डी.पी.ई. एलम डोजिंग यूनिट
28.	51	सीमेंट
29.	52	सीमेंट कास्टिंग पाईप, फिटिंग्स व टाइल्स
30.	53	एस. डब्ल्यू पाईप
31.	56	सभी प्रकार के आर.सी.सी. पाईप व चैनल सेक्शन
32.	61	इंटरकाम
33.	63	फैक्स मशीन
34.	64	टाईप राईटर (मैनुअल व इलेक्ट्रानिक)
35.	67	टाटपट्टी
36.	68	एनीमल/हैंड ड्रीवन ट्राली व कार्ट्स
37.	69	इलेक्ट्रिक मोटर्स
38.	70	डीजल इंजिन पंप
39.	71	मोनो ब्लाक पंप
40.	72	इन्सेक्टीसाइड्स, पेस्टीसाइड्स व फंगीसाइड्स फारमुलेशन
41.	73	रबर टायर व ट्यूब
42.	74	टरमाइड प्रुफ पावडर (दीमक मार पावडर)
43.	76	फ्लोरोसेंट ट्यूब लाईट
44.	77	बल्ब
45.	79	कट आऊट
46.	82	कन्डक्टर
47.	83	ए.सी.एस.आर.एल. एल्यूमिनियम एलॉय कन्डक्टर
48.	84	होज पाईप (रबर)
49.	86	क्लोरीसैफ
50.	87	स्लेट बत्ती (पेनसिल)
51.	88	ऑयल चॉक तथा मारकिंग पेन
52.	91	टूल किट
53.	93	सेरीकल्चर आयटम
54.	95	हाथ ठेला
55.	99	डस्टर
56.	100	पेनल डोर वुडन
57.	103	थर्मोप्लास्टिक होज पाईप

(1)	(2)	(3)
58.	119	**टूल किट्स (श्रमिक औजार) :** अ. राजमिस्त्री, ब. इलेक्ट्रिशियन, स. प्लंबर, द. पेण्टर, इ. कारपेण्टर, ई. रेजा कुली.
59.	120	ओजोनेटर
60.	121	इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर
61.	124	चैन सॉ
62.	125	ब्रश कटर
63.	126	पॉवर आपरेटेड मिस्टब्लोवर
64.	127	पॉवर आपरेटेट कल्टीवेटर पोलपुर्नर
65.	128	अर्थ आरगन मशीन
66.	131	एच.ई.एफ. (हाई इफिसियेन्सी फ्लोरिंग डनेज मटेरियल आईएस : 1322-1993)
67.	138	हेलमेट

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक-एम.पी./3748 को दिनांक 12-08-2015 से 31-03-2016 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 1-16/2004/11/(6).—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-04/2014/1/2, दिनांक 13-07-2015 के परिपालन में श्रीमती शारदा वर्मा, (भा.प्र.से.) द्वारा दिनांक 20-07-2015 को पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें का कार्यभार ग्रहण किया गया है.

2. अत: छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58(1) के तहत श्रीमती शारदा वर्मा (भा.प्र.से.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पंजीयक की समस्त शक्तियां प्रदत्त की जाती है.

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 8-1/2012/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.एस.पी.सी.एल. भिलाई के बॉयलर क्रमांक सी.जी./343 को दिनांक 01-08-2015 से 20-08-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

संदर्भ :— (i) आदेश क्रमांक 817/सीए/एसआईटी/2003/चॉइस रायपुर, 19 अगस्त, 2003
(ii) आदेश क्रमांक 198/अमुस/सूप्रौ/जैप्रौ/2006/चॉइस रायपुर दिनांक 13-07-2006

क्रमांक 235/स/इले. एवं सूप्रौ/2015/ई-डिस्ट्रिक्ट.—उपरोक्त संदर्भित आदेशानुसार एवं छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम, 2003 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नलिखित अन्य सेवाएं एतद्द्वारा अधिसूचित नागरिक सेवाएं घोषित की जाती हैं.

(1) विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र
(2) कलेक्टर कार्यालय में आर.टी.आई. दाखिल करना.
(3) नगर निगम/पालिका/पंचायत में आर.टी.आई. दाखिल करना.
(4) सुखद सहारा योजना में समावेश हेतु आवेदन पत्र.
(5) विधवा पेंशन में समावेश हेतु आवेदन पत्र.

(6) केस सूचीबद्ध हेतु आवेदन (राजस्व न्यायालय).
(7) न्यायालय आदेश की प्रति (राजस्व न्यायालय).
(8) जलकर/कर भुगतान.
(9) व्यापार लाईसेंस जारी करना.
(10) खाद्य विक्रेता पंजीयन.
(11) रोजगार हेतु पंजीयन.
(12) नया स्थायी ड्रायविंग लाईसेंस (मोटर यान हेतु)
(13) नया लर्निंग लाईसेंस.
(14) मोटरयान फिटमेंट प्रमाण पत्र हेतु आवेदन.

Reference :— (i) Order No. 817/CA/SIT/2003/CHOiCE Raipur August 19, 2003.
(ii) Order No. 198/ACS/IT/BT/2006/CHOiCE Raipur Dt. 13-07-2006.

No. 237/S/E & IT/2015/e-District.—With reference to the above order and "In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) 2003, the following other services are hereby declared as Notified Citizen Services"—

1. Marriage Registration & Certificate
2. RTI filling at District Collectorate
3. RTI filling at Municipalities/Panchayat
4. Application for inclusion in Sukhad Sahara Yojna
5. Application for inclusion in Widow Pension
6. Application for Case listing (Revenue Court)
7. Copy of Court order (Revenue Court)
8. Water Bill/Tax payment
9. Issuance of Trade License
10. Food Registration (Registration of Food Seller)
11. Registration for Employment
12. New Learner License
13. New Permanent Driving License for Motor Vehicle
14. Application for fitment certificate (Vehicle)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 1-02/2015/1-15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जे. आर. नायक, भा.व.से. (2002), वनमंडलाधिकारी, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कोरबा वन मंडल, कोरबा के प्रभार से स्थानान्तरित कर, वन मुख्यालय, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर, पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जून 2015

क्रमांक एफ 7-01/2015/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 04-02-2015 द्वारा दुर्ग भिलाई विकास योजना (भाग-1) में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी :—

दुर्ग-भिलाई विकास योजना (भाग-1) में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोसा	57 का टुकड़ा	0.50 एकड़	उद्यान	यातायात (बस डिपो टर्मिनल)
		58/1,	0.18 एकड़		
		59/1 का टुकड़ा	0.30 एकड़		
		59/2,	0.24 एकड़		
		60/1 का टुकड़ा	0.28 एकड़		
		61 का टुकड़ा	0.45 एकड़		
		62 का टुकड़ा	1.45 एकड़		
		63/2 का टुकड़ा	0.74 एकड़		
		63/1 का टुकड़ा	0.57 एकड़		
		67 का टुकड़ा	0.16 एकड़		
		66 का टुकड़ा	0.04 एकड़		
		56 का टुकड़ा	0.03 एकड़		
		कुल योग	**4.94 एकड़**		

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण विकास योजना में सिटी बस हेतु बस डिपो टर्मिनल हेतु.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा दुर्ग भिलाई विकास योजना (भाग-1) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण दुर्ग भिलाई विकास योजना (भाग-1) का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्रमांक/189/क/भू-अर्जन/08/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	सागुनढाप प.ह.नं. 45	2.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.).	लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्रमांक/191/क/भू-अर्जन/10/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	सागुनढाप तु. राजाकटेल प.ह.नं. 45	2.88	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.).	लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्रमांक/193/क/भू-अर्जन/12/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	सानटेमरी प.ह.नं. 46	1.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.).	लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्रमांक/195/क/भू-अर्जन/13/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	माटीदरहा प.ह.नं. 46	5.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.).	लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्रमांक/197/क/भू-अर्जन/14/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	छातामौहा प.ह.नं. 51	8.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.).	लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्रमांक/199/अ.वि.अ./भू-अर्जन/11 अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	झिलमिला प.ह.नं. 8/17	3.342	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, महासमुंद.	कोडार जलाशय के डुबान कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 मई 2015

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2001-02.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	जरहाडीह	2.887	अनुविभागीय अधिकारी, लो. नि. विभाग, सेतु निर्माण, उप संभाग, अम्बिकापुर.	बतौली-बगीचा मार्ग पर कि.मी. 8/6 पर साकिन सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 जून 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 20/अ-82/2012-13.— उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-तेलीपाली, प.ह.नं. 26 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 1.205 हे. केलो परियोजना अंतर्गत तेलीपाली माईनर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 04-01-2013 तथा दिनांक 19-04-2013 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.012 हे. भूमि प्रभावित न होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-तेलीपाली

खसरा नं.	रकबा
392/2	0.012
कुल खसरा 01	**कुल रकबा 0.012**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जुलाई 2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ–82/2010–11.— उपर्युक्त भू–अर्जन प्रकरण में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा बिंजकोट, प.ह.नं. 14, रा.नि.मं. खरसिया, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा 144.411 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू–अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना तथा धारा 6 (रकबा 141.411 हेक्टेयर) की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः 19–08–2011 एवं 28–10–2011 एवं संशोधित 18–11–2011 को कराया गया है.

चूंकि अब महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा भू–अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात भू–अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू–अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 व 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-बिंजकोट

क्रमांक (1)	खसरा नं. (2)	रकबा (हेक्टेयर) (3)
1.	98	0.381
2.	99	0.421
3.	100	0.210
4.	101/1	0.077
5.	101/2	0.020
6.	101/3	0.073
7.	101/4	0.057
8.	102/1	0.056
9.	102/2	0.061
10.	103/1	0.081
11.	103/2	0.089
12.	103/3	0.016
13.	103/4	0.016
14.	103/5	0.012
15.	104	0.239
16.	105/1	0.060
17.	105/2	0.061
18.	106/1	0.041
19.	106/2	0.202
20.	107	0.466
21.	245/1	0.162
22.	245/2	0.385
23.	491/1स	0.025
24.	435/3	0.352
योग	**24**	**3.563**

2. भू–अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	धनगांव प.ह. नं. 17	0.966	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया जिला रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव माइनर नहर-2 हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 11 जून 2015

क्रमांक/20/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	बलौदा 24	45.039	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बॅराज निर्माण संभाग क्र. 02 चांपा.	शिवरीनारायण बॅराज के डूबान क्षेत्र अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 25 जुलाई 2015

क्रमांक/4767/कले./भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भनसुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	574	0.25
योग		0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-सुरही-भनसुली-गट्टासिल्ली सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2015

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./04/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कचना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.140 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	292/2	0.061
	293/3	0.043
	293/1	0.036
योग	3	0.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कचना बलौदाबाजार मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2015

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2014/3003.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के आदेश संख्या 76/छ.ग.-वि.स./2013, दिनांक 20 जुलाई, 2015 द्वारा विधान सभा साधारण निर्वाचन-2013 में जिला मुंगेली, महासमुन्द, रायपुर, बालोद एवं बस्तर से निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

निधि छिब्बर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 20 जुलाई, 2015—29 आषाढ़, 1937 (शक)

आदेश

सं. 76/छ.ग.-वि.स./2013—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है.

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	26-लोरमी	संतोष जायसवाल, मुकाम/पोस्ट-अखरार, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	26-लोरमी	संतराम मसराम, मुकाम/पोस्ट-सुरही, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
3.	—वही—	27-मुंगेली (अ.जा.)	सुनील टण्डन, ग्राम-डांडगांव, पो.-भटगांव, तह.-पथरिया, जिला-मुंगेली छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	40-बसना	देवनारायण ध्रुव, (डी.एन.) सा. नवापारा खुर्द, पो.-था.-पिथौरा, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़.	—वही—
5.	—वही—	—वही—	अवधराम बंजारा, (नायक) ग्राम-देवलगढ़, पो.-बरनाईदादर थाना-बसना, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़.	—वही—
6.	—वही—	41-खल्लारी	सतीश जग, ग्राम-पड़किपाली, पोस्ट-घुंचापाली तहसील-बागबाहरा, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़.	—वही—
7.	—वही—	42-महासमुन्द	संत कुमार प्रधान, ग्राम-पो.-सलडीह, थाना-सांकरा, तहसील-पिथौरा, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़.	—वही—
8.	—वही—	49-रायपुर शहर पश्चिम	अनिल मिश्रा, 378/33, गांधी नगर, बीरगांव रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
9.	—वही—	51-रायपुर नगर दक्षिण	रईस फाजिल, नरेन्द्र सीट कव्हर के पास बैजनाथ पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
10.	—वही—	—वही—	अजमत भाई, संतोषी नगर, ताज नगर, वार्ड क्र. 53 रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
11.	—वही—	—वही—	मो. अफजल, कुकरीपारा, सुभाष नगर, रायपुर छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	51-रायपुर नगर दक्षिण	पारस सोनी, वार्ड क्रमांक 33, नया 37, मोहल्ला-बुढ़ापारा, मकान क्र. 9/338 नया 45/191, सदर बाजार रोड बुढ़ापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
13.	—वही—	—वही—	फिरोज खान, ईदगाहाभाठा गली नं. 8, रायपुर छत्तीसगढ़.	—वही—
14.	—वही—	—वही—	महेबूब खाँ, मस्जिद के पास, संजय नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
15.	—वही—	—वही—	लिकेश कुमार सिंह, श्वेता फ्लोर मिल के सामने, मैलीपारा तेलीबांधा, रायपुर छत्तीसगढ़.	—वही—
16.	—वही—	—वही—	वसीम आफरीदी, स्वास्तिक बेकरी के पास, बैजनाथ पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
17.	—वही—	60-डौण्डीलोहारा	तुका राम कोर्राम, ग्राम-जुन्नापानी, पो.-रेंगाडबरी, तहसील-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद छत्तीसगढ़.	—वही—
18.	—वही—	—वही—	बनवारी लाल मरकाम, क्वा. नं. 22ए/डबल्यू टाईप, टाउनशिप दल्लीराजहरा, तहसील-डौंडी, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़.	—वही—
19.	—वही—	86-जगदलपुर	शंभू प्रसाद सोनी, मकान नं. 143, करेकोट पारा, पंडरीपानी, तह.-जगदलपुर छत्तीसगढ़.	—वही—
20.	—वही—	—वही—	शंकर बघेल, ग्राम-कालीपुर, पोस्ट-धरमपुरा, तह.-जगदलपुर, जिला-बस्तर छत्तीसगढ़.	—वही—

आदेश से,

हस्ता./-

(आर. के. श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 20th July 2015—29 Ashada, 1937 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-LA/2013.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2013 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No. (1)	Particulars of Election (2)	Number & Name of the Assembly Constituency (3)	Name & Address of the Candidate (4)	Reason of disqualification (5)
1.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh.	26-Lormi	Santosh Jaiswal Vill/Post-Akharar, Tah.-Lormi, Dist.-Mungeli Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of Election expenses
2.	—do—	—do—	Santram Masram Vill./Po.-Surhi, Tah.-Lormi, Dist.-Mungeli, Chhattisgarh.	—do—
3.	—do—	27-Mungeli (SC)	Sunil Tandan Vill.-Dandgaon, P.O.-Bhatgaon, Tah.-Pathariya, Distt.-Mungeli Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	40-Basna	Devnarayan Dhruw (DN) Vill.-Nawaparakhurd, P.O. + Thana-Pithora, Distt.-Mahasamund, Chhattisgarh.	—do—
5.	—do—	—do—	Awadhram Banjara (Nayak) Vill.-Dewalgarh, P.O.-Barnai Dadar, Thana-Basna, Distt.-Mahasamund, Chhattisagrh.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh.	41-Khallari	Satish Jag Vill.-Padkipali, Post-Ghhunchapali Tah.-Bagbahra, Distt.-Mahasamund Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of Election expenses
7.	—do—	42-Mahasamund	Sant Kumar Pradhan Gram+Post-Saldih, Thana-Sankara, Tah.-Pethora, Dist.-Mahasamund, Chhattisgarh.	—do—
8.	—do—	49-Raipur City West	Anil Mishra 378/33, Gandhi Nagar, Birgaon, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
9.	—do—	51-Raipur City South	Rayees Fazil Near Narendra Seat Cover, Baiznath Para, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
10.	—do—	—do—	Ajmat Bhai Santoshi Nagar, Taj Nagar Ward No. 53, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
11.	—do—	—do—	Md. Afjal Kukari Para, Subhash Nagar, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
12.	—do—	—do—	Paras Soni Ward No. 33 New 37, Mohalla Bhudapara, H. No-9/338 New 45/191, Sadar Bazar Road, Bhudapara Raipur, Chhattisgarh.	—do—
13.	—do—	—do—	Firoz Khan Idgah Bhata, Gali No.-8, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
14.	—do—	—do—	Maheboob Khan Near Maszid Sanjay Nagar, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
15.	—do—	—do—	Likesh Kumar Singh In front of Sweta Floor mill, Mailipara Telibandha, Raipur Chhattisgarh.	—do—
16.	—do—	—do—	Washim Aafridi In front of Swastik Bekari, Baijnath Para, Raipur Chhattisgarh.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh.	60-Dondilohara	Tuka Ram Korram Vill-Junnapani, P.O.-Rengadabari, Tah.-Dondilohara, Distt.-Balod, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of Election expenses
18.	—do—	—do—	Banwari Lal Markam Q. No.-22 A/W Type Township Dallirajhara Tah.-Dondi, Distt.-Balod, Chhattisgarh.	—do—
19.	—do—	86-Jagdalpur	Shambhu Prasad Soni House No. 143, Karekot Para Pandaripani, Tah.-Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh.	—do—
20.	—do—	—do—	Shankar Baghel Vill.-Kalipur, P.O.-Dharmpura, Tah.-Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh.	—do—

By order,

Sd/-

(R. K. SHRIVASTAVA)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 19 जून 2015

क्रमांक 1202/नग्रानि./कबीरधाम/स्ट्र.प्लान स. लोहारा/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि स. लोहारा निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला कबीरधाम, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कबीरधाम एवं कार्यालय नगर पंचायत स. लोहारा में दिनांक 29-06-2015 से कार्यालयीन अवधि 30 दिनों तक कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अनुसूची

स. लोहारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पीपरटोला छोटे, छोटूपारा, स. लोहारा एवं ग्राम बांधाटोला की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम-बांधाटोला, स. लोहारा, भीमपुरी एवं ग्राम-बाम्हन टोला की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बाम्हनटोला, लखनपुर एवं ग्राम बासीनझोरी की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम बासीनझोरी, बानो एवं ग्राम-पीपरटोला छोटे की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 1202/T & CP/Kawardha/S.P.-S.lohara/2015.— Notice is hereby given that for the Publication of existing land use of S. lohara Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 29-06-2015 to till 30 days of working, during office hours in the offices of Collector District Kabirdham (C.G.), office of the Assistant Director Town and Country Planning, Kabirdham C. G. and Office of the Nagar Panchayat S. lohara C.G.

The limit of S. lohara Planning Area is defined in the Schedule given below.

SCHEDULE

Limit of S. lohara Planning Area

NORTH : Village Pipartolachhote, Village-Chhotupara, Village-Sahaspur Lohara & upto Northern limit of Village-Bandhatola.

EAST : Village-Bandhatola, Village-Sahaspur Lohara, Village-Bheempuri & upto Eastern limit of Village-Bamhantola.

SOUTH : Village Bamhantola, Village-Lakhanpur & upto Southern limit of Village-Basinjhori.

WEST : Village Basinjhori, Village-Bano & upto Western limit of Village-Pipartolachhote.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to Commissioner cum Director town and country planning Chhattisgarh Naya Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Commissioner cum Director Nagar Tatha Gram Nivesh Chhattisgarh.

प्रीति देवांगन,
प्र. सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st July 2015

No. 427/Confdl./2015/II-2-90/2001 (Pt.III).—Shri Ramashankar, Member of Higher Judicial Service land presently posted as Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is appointed as Registrar (Judicial) in the Establishment of the High Court with immediate effect.

Bilaspur, the 2nd July 2015

No. 429/Confdl./2015/II-2-90/2001 (Pt.III).—Shri Ramashankar, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, shall look after the duties of the post of Additional Registrar (Judicial) in addition to his own duties till further orders.

Bilaspur, the 2nd July 2015

No. 564/CSJA/Final Part ADJ 2014 Batch/15.—The following newly appointed Additional District & Sessions Judge, 2015 Batch as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report at the Chhattisgarh State Judicial Academy, (CSJA), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 10-08-2015 by 8.30 A.M. for undergoing the First Part of Institutional Training (Foundation Course) Scheduled to be held from 10th August 2015 to 22nd August, 2015.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Addl. District & Sessions Judge (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Prashant Parashar	II Additional District & Sessions Judge, Korba
2.	Shri Arvind Kumar	II Additional District & Sessions Judge, Raipur
3.	Shri Davender Kumar	III Additional District & Sessions Judge, Raipur
4.	Smt. Shobhna Koshta	III Additional District & Sessions Judge, Durg
5.	Shri Deepak Kumar Deshlhre	V Additional District & Sessions Judge, Ambikapur
6.	Shri Vijay Kumar Minj	II Additional District & Sessions Judge, Balod

The above mentioned District Judges (Eintry Level) on probation are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

1. Civil Procedure Code (annotated)
2. Criminal Procedure Code
3. Indian Penal Code
4. The Evidence Act (annotated)
5. The Motor Vehicles Act
6. The Limitation Act (annotated)
7. The Court Fees Act (annotated)
8. The Stamp Act (annotated)
9. The Accommodation Control Act
10. Rules & Orders (Civil & Criminal)
11. The Forms and Stationary Rules

Bilaspur, the 2nd July 2015

No. 622/CSJA/Final Part ADJ 2014 Batch/15.—The following newly appointed Additional District & Sessions Judge, 2014 as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report at the Chhattisgarh State Judicial Academy, (CSJA), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 20th July, 2015 before 8:30 A.M. for undergoing the Final Part Institutional Training scheduled to be held from 20th July 2015 to 01st August, 2015.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Addl. District & Sessions Judge (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Sunil Kumar Jaiswal	VIII Additional District & Sessions Judge, Bilaspur

(1)	(2)	(3)
2.	Smt. Vandana Deepak Dewangan	VIII Additional District & Sessions Judge, Durg
3.	Shri Sanket Kumar Khanday	IX Additional District & Sessions Judge, Raipur
4.	Shri Neeraj Sharma	III Additional District & Sessions Judge, Raigarh
5.	Shri Rajeev Kumar	IX Additional District & Sessions Judge, Bilaspur
6.	Shri Suresh Joon	Additional District & Sessions Judge, Bilaspur
7.	Smt. Neelima Singh Baghel	V Additional District & Sessions Judge, Durg
8.	Shri Dukhi Ram Dewangan	IV Additional District & Sessions Judge, Raigarh
9.	Smt. Shubhra Pachouri	V Additional District & Sessions Judge, Raigarh
10.	Shri Ganesh Ram Burman	IV Additional District & Sessions Judge, Raipur
11.	Shri Vijay Kumar Jolhe	VIII Additional District & Sessions Judge, Raipur

The above mentioned District Judges (Entry Level) on probation are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring one Civil/Criminal/Claim Case/Bail order copies of judgments rendered by them during the actual judicial work and also to bring with them the following books :—

1. Civil Procedure Code (annotated)
2. Criminal Procedure Code
3. Indian Penal Code
4. The Evidence Act (annotated)
5. The Motor Vehicles Act
6. The Limitation Act (annotated)
7. The Court Fees Act (annotated)
8. The Stamp Act (annotated)
9. Rules & Orders (Civil & Criminal)

Bilaspur, the 17th July 2015

No. 475/Confdl./2015/II-2-1/2015.—The following members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place show in column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Noordeen Tigala, Special Judge under S.C. & S. T. (P.A.) Act.	Raipur	Raigarh	Raigarh	District & Sessions Judge.
2.	Shri Narendra Singh Chawla, Judge, Family Court.	Bilaspur	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 20th July 2015

No. 508/Confdl./2015/II-2-4/2002.—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who were confirmed vide Registry Order No. 92/Confdl./2015/II-2-4/2002 dated 31-01-2015 from the date as specified in column No. 03, are hereby, confirmed from the revised date as specified in column No. (4) :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Previous Date of Confirmation (3)	Revised Date of Confirmation (4)
1.	Shri Ashok Kumar Lunia	01-12-2014	01-08-2014
2.	Smt. Kanta Martin	01-01-2015	01-10-2014

Bilaspur, the 20th July 2015

No. 510/Confdl./2015/II-2-4/2002.—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry order No. 410/Confdl./2012/II-2-4/2002 dated 30-07-2012, are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Shri Bhishma Prasad Pandey	01-12-2014
2.	Shri Shailesh Kumar Tiwari	01-01-2015
3.	Shri Rajendra Pradhan	01-03-2015
4.	Shri Gokaran Singh Kunjam	01-03-2015
5.	Shri Anand Kumar Dhruw	01-03-2015
6.	Smt. Suman Ekka	01-03-2015
7.	Shri K. Vinod Kujur	01-03-2015

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2015

क्रमांक 5385/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर अपने घोषित कार्यस्थल रायपुर के अतिरिक्त गरियाबंद में भी प्रत्येक माह में प्रथम एवं तृतीय सप्ताह में बैठक करेंगे, जब तक श्रीमति मधु तिवारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गरियाबंद मातृत्व अवकाश से वापस अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हो जातीं.

Bilaspur, the 20th July 2015

No. 5385/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Vth Additional District & Sessions Judge, Raipur in addition to his palce of sitting at Raipur declared shall also sit at Gariyaband for the 1st & III rd weeks in every month, till return of Smt. Madhu Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Gariyaband from maternity leave.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.